

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 64/2022 (दिलिप वगै० बनाम दुर्गासिंह वगै०)

निर्णय दिनांक :- 01.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.07.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम लूणा स्थित ख०न० 485 रकबा 2.19 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर सुगना पुत्र गणेशा के वारिसान की हैसियत से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 01.07.2025 को जारी की गई।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर